

के समक्ष विचाराधीन है। प्रतिवादीगण सीतादेवी द्वारा पेश किये गये वादपत्र से भी यह स्वीकृतसुदा स्थिति है कि इस विवादित भूमि में प्रतिवादीगण सीता का कोई कब्जा व हक व अधिकार नहीं है तथा मामला अदालत श्रीमान के यहां पर विचाराधीन है। फिर भी प्रतिवादीगण सीतादेवी ने उक्त तथ्यों को व वादपत्र के विचारण की कार्यवाही को छुपाकर के कुटरचित रूप से एक विक्रय विलेख प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के हक में निष्पादित करवाकर उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के यहां से बेचाननामा पंजीबद्ध करवाया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 सीतादेवी ने अपनी और से करवाये गये बेचान विलेख में यह उल्लेखित किया है, कि इस विक्रित जमीन को लेकर के किसी भी न्यायालय में कोई वादपत्र विचाराधीन नहीं है। न ही कोई स्थगन है तथा पर भी कब्जा अपने स्वयं के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को सौंप दिये जाने का उल्लेख करते हुये बेचान विलेख पंजीबद्ध करवा लिया है। जबकि वास्तविकता में मौके पर विक्रेता सीतादेवी स्वयं का भी कोई कब्जा व हक व अधिकार नहीं था, तो उसके द्वारा क्रेतागण प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को कब्जा सौंप दिये जाने के कथन पूर्णतया असत्य व झूठे है। इस वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी के एक मात्र वादीगण ही रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 सीतादेवी ने झूठे दस्तावेजात के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की प्रविष्टि करवा ली थी। तत्पश्चात उसी के आधार पर वादपत्र बाबत बेदखली का पेश किया था। जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है, यानि यह स्वीकृतसुदा स्थिति है कि इस वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 01 सीतादेवी पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन थी तथा बिना कब्जे के ही उसने उक्त बेचान विलेख पंजीबद्ध करवाया हैं जो कतई गलत व विधि विरुद्ध है तथा ऐसे बेचान विलेख से प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को भी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 अजनबी केता भी है। जिन्हे सीतादेवी द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं सौंपा गया है तथा बिना कब्जे के हस्तान्तरण विलेख भी कतई कानूनन मान्य नहीं है। मौके पर प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का भी कोई कब्जा व हक व अधिकार नहीं है। फिर भी दिनांक 25.02.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 वादीगण के पास आये एवं वादीगण को एलानिया कथन किया कि उन्होंने सीतादेवी से जमीन खरीद ली है एवं अब वे जमीन अपने नाम करवाकर तुम्हे बेदखल करेगें। इस प्रकार प्रतिवादीगण तथाकथित बेचान विलेख के आधार पर ही उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरणकरण की कार्यवाही के अपने नाम दर्ज करवाने को आमामा है। तत्पश्चात इसी के आधार पर अवैधानिक तरीके से वादीगण को बेकाबिज कर अपना स्वयं का कब्जा भी करना चाह रहे है। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में भी प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का नाम दर्ज किये जाने से रोका आवश्यक है। कारण की उक्त भूमि के प्रतिवादीगण अजनबीक्रेता है। जिन्हें इस आराजी का बाई

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

गिट्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाये बिना भूमि में प्रवेश करने की व वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने का भी कोई वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 सीतादेवी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के हक में कुटरचित रूप से किये गये इस बैचान विलेख के आधार पर यदि उक्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण की कार्यवाही के प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे जिससे वादीगण को असीम क्षति होगी वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कार्यवाही का विरोध करेंगे जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अदालत हाजा में यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जो इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है। इसलिये उन्हे वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 के विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। परन्तु वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर पेश किया जा रहा है। अनुमति प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25.02.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 द्वारा प्रतिवादीगण को उनके कब्जे व काश्त से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर तथा उनके द्वारा यह बताने पर कि उन्होंने से प्रतिवादीगण सीतादेवी से जमीन की खरीद कर ली है। जबकि विक्रेता सीतादेवी स्वयं का ही कब्जा नहीं था। इस प्रकार से कब्जे के ही बैचान हस्तान्तरण की कार्यवाही कर देने व अदालत श्रीमान के समक्ष पूर्व में वादीगण के विरुद्ध वादपत्र विचाराधीन रहने के बावजूद भी बैचान कर देने पर बमुकाम खराड़ी व जैतारण में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण सीतादेवी व अन्य की ओर जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 में कथनों का जवाब है कि खसरा नम्बर 909 रकबा 09-09 बीघा में वादीगण का चार बीघा कृषि भूमि आने का कथन गलत व झूठ व विरुद्ध राजस्व रेकर्ड के है। वादपत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि वादपत्र में वर्णित कृषिभूमि के खातेदार नाथूसिंह ने खसरा नम्बर 909 रकबा 09-09 बीघा के 1/3 हिस्से को आज से करीब 35 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 के पति को बैचान कर भौतिक रूप से कब्जा भी दिया व क्रेता का नाम दर्ज हो गया व भगवानसिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी यानि प्रतिवादीगण संख्या 01 सीतादेवी का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर लगातार बिना किसी रोकटोक के वादीगण की जानकारी में कब्जा काश्त चला आ रहा है तो वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 के लिये नाथूसिंह से बिना कब्जे काश्त व राजस्व रेकर्ड में मात्र नाम होने की

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वजह से कुट्टरचित बैचाननाम करवाने का कथन व उसके आधार पर अपना नाम राजस्व अभिलेखों की जमाबन्दी में दर्ज करवाने के कथन गलत झूठे व मनमाने अंकित किये है जबकि विक्रय विलेख विधि सम्मत है तथा उसी आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 के पति का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ। पद संख्या 03 पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 04 में दर्ज कथन झूठे व मनमाने है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 सीतादेवी 1/3 हिस्से की खातेदार है तथा कब्जा काशत है तथा राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज है तथा इसी आधार पर ही स्वामित्व अधिकार बनता है। उसी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने हिस्से की कृषि भूमि की काशत कब्जे के 1/3 हिस्से को अपने लिये पारिवारिक प्रबन्ध एवं अन्य निजी जरूरत हेतु प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को दिनांक 20.01.2012 को की भौतिक कब्जा दिया है जो बैचाननामा विधिसम्मत है तथा एक खातेदार को अपने हिस्से को बैचान करने का कानूनन अधिकार है तथा इस कृषिभूमि के सम्बन्ध में न्यायालय से बैचान नहीं करने बाबत कोई रथगन आदेश नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 05 में दर्ज कथनगलत व झूठे होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 909 रकबा 09-09 बीघा के 1/3 हिस्से की क्रयसुदा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा क्रय की गई भूमि में वादीगण का हक व अधिकार नहीं बनता है व नहीं क्रेता अजनबी है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि को सहकाशतकार की बिना स्वीकृति, बिना विभाजित किये अपने भाग का अन्तरण कर सकती है। अपने भाग का अन्तरण करने के लिये अन्य काशतकार से कोई हित प्रभावित नहीं होते है तथा न ही ऐसी कोई शर्तहोती है कि भूमि का विभाजन पहले किया जावे, जहां विक्रेता का कब्जा था, वहां क्रेता आसिन होगा। इस कारण वादीगण की कब्जे काशत में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने कोई दखलन्दाजी नहीं की, न ही वादीगण के कोई हक व अधिकार प्रभावित होते है। उनके द्वारा क्रेता के पक्ष में म्युटेशन पारित करने से रोकने का अधिकार भी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी सं 2 व 3 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कियसा जो विधिसम्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण की कृषि भूमि में कोई दखलन्दाजी करते है बल्कि वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा क्रयसुदा व कब्जे काशत की भूमि को हड़पने की नियत से गलत व झूठे कथनों के आधार पर वादपत्र पेश किया जो पोषणीय नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली का विवाद्यक अनुसार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-
1. आया वाद में वर्णित खसरा नम्बर 909 रकबा 09-09 बीघा में वादीगण 4 बीघा व खसरा नम्बर 909/4 रकबा 01-06 बीघा के 1/2 हिस्से में काशत करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी तहसील जैतारण के ग्राम खराड़ी के खसरा नम्बर 909 रकबा 09-09 बीघा में वादीगण 4 बीघा व खसरा नम्बर 909/4 रकबा 01-06 बीघा के 1/2 हिस्से का

सहायक कलेक्टर प्रदेन
उपरखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अभिलिखित खातेदार है। जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 ग्राम खराड़ी के अनुसार खसरा नम्बर 909/4 रकबा 01-06 बीघा में जसकी बेवा काना, धारु, धर्मा, अणदा पिसरान काना, संगामराम पुत्र पुसाराम अभिलिखित खातेदार हैं एवं खसरा संख्या 909 रकबा 09-09 बीघा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी जसकी पत्नी कानाराम सह खातेदार दर्ज है, वादी जसकी द्वारा उक्त खसरे की भूमि के अन्य सहखातेदारान् से भूमि जरिये पंजीकृत बैचाननामा के अविभाजित सहखातेदारी भूमि में से हिस्सा क्रय किया गया है। वादपत्र एवं भू अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के सभी सहखातेदारान् को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, तथा अभिलिखित सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अविभाजित सहखातेदारी भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा काश्त एवं उपयोग एवं उपभोग माना जाता है। ऐसी दशा में कानूनन बिना विभाजन करवाये कोई भी सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि बिना विभाजन करवाये कोई भी सहखातेदार औपचारिक एवं कानूनी तौर पर यह नहीं कह सकता कि विवादित आराजी का अमुक भू भाग उसका अपना है। अतः यह विवाद्यक वादीगण भली भांति साबित करने में असफल रहे हैं। लिहाजा इसे विरुद्ध वादीगण निर्णित किया जाता है।

2. आया विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने से उनके द्वारा बिना कब्जे के किया गया बैचाननामा अवैधानिक है ?

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। अब्बल तो वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी संख्या एक का वादग्रस्त सहखातेदारी भूमि में कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हो, दोयम चूंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 01 सहखातेदार दर्ज है तथा अविभाजित सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक सहखातेदार का उसके हक हिस्से तक कब्जा काश्त माना जाता है। साथ ही वादी संख्या स्वयं अविभाजित सहखातेदारी भूमि में जरिये पंजीकृत बैचान से सहखातेदार के रूप में दर्ज हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजीकृत बैचाननामा की वैधानिकता या अवैधानिकता के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं विचारण के लिये न्यायालय हाजा सक्षम नहीं है। अतः यह विवाद्यक वादीगण द्वारा भलीभांति साबित नहीं कर पाने के कारण विरुद्ध वादीगण निर्णित किया जाता है।

3. आया वाद में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 909 रकाब 09-09 बीघा के खातेदार सीतादेवी ने अपने 1/3 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कर भौतिक रूप से कब्जा दिया जो बैचान विधिसम्मत होने से क्रेता जमाबन्दी में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है ?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, भू अभिलेख की प्रतियां एवं पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रतियों से यह

सहायक क्लर्क प्रदीप
उपरखण्ड अधिकारी
जंतरण (पाली)

स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 जो अभिलिखित सहखातेदार है, से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख वादग्रस्त आराजी में हिस्सा क्रय किया है। क्रेता द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख का नियमानुसार सक्षम स्तर से क्रियान्वयन करवाया जा सकता है। ऐसे पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रियान्वयन एवं इनके आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने के लिये सम्बन्धित को आदेशित करना न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा न ही इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत कोई अनुतोष चाहा गया है। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नहीं होने से विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता है।

4. आया प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा क्रय की गई भूमि में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं होने से कोई बिनायवाद नहीं होता है ?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 की हैं। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 07 में बिनायवाद का अंकन एवं कथन किया है। अतः यह विवाद्यक साबित नहीं होने से विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण वादपत्र को बखूबी साबित करने में पूर्णत असफल रहें है।

अतः वादपत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 02/09/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)



डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

:- वादीगण :-

बनाम

:- प्रतिवादीगण :-

1. जसकी पत्नी कानाराम
 2. धारुराम पुत्र कानाराम
 3. धर्मराम पुत्र कानाराम
 4. अणदाराम पुत्र कानाराम
- जातियान- जाट, निवासीगण-
खराड़ी, हीलब तहसील- जैतारण,
जिला- पाली राज०।

1. शीतादेवी पत्नी भगवान सिंह
2. रूपाराम पुत्र पैमाराम
3. नाथूराम पुत्र करणाराम
4. तहसीलदार, तहसील- जैतारण।
5. पटवारी पटवार हल्का डिगरना
तहसील- जैतारण, जिला- पाली।

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 92ए, राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 50/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवाहकवार विवेचन एवं निर्णयन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं हों एवं सारहीन हों से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें। बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/09/2021 को जारी

किया गया।



मुकदमा अधिकारी पदेन
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुख्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/	/	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	05	00	मिजान:-	04	00

नोट:- इस खर्चों के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।